

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3561] No. 3561] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 27, 2017/पौष 6, 1939

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 27, 2017/PAUSHA 6, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2017

का.आ. 4069(अ).—केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खंड (ii) में का.आ. 471 (अ), तारीख 16 फरवरी, 2017 में प्रकाशित और का.आ. 565(अ), तारीख 21 फरवरी, 2017 एवं का.आ. 2264(अ), तारीख 20 जुलाई, 2017 एवं का.आ. 3424(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2017 द्वारा तदनन्तर संशोधित, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में,--

- पैरा 3, के उप-पैरा (2) में, शब्दों, अंकों एवं अक्षरों "31 दिसम्बर, 2017 तक", के स्थान पर "31 मार्च, 2018 तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा।
- पैरा 4, के उप-पैरा (1) में, शब्दों, अंकों एवं अक्षरों "31 दिसम्बर, 2017 तक", के स्थान पर "31 मार्च, 2018 तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा।

[फा.सं. 11017/87/2016-एससीडी-I]

आइन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2017

S.O. 4069(E).— In pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment

7417 GI/2017 (1)

(Department of Social Justice and Empowerment), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 471(E), dated the 16th February, 2017 and subsequently amended vide S.O. 565 (E) dated 21st February, 2017, S.O. 2264(E), dated the 20th July, 2017 and S.O. 3424(E), dated the 24th October, 2017, namely:—

In the said notification,—

- in paragraph 3, in sub-paragraph (2), for the words, figures and letters "by 31st December, 2017", the words, figures and letters "by 31st March, 2018" shall be substituted.
- in paragraph 4, in sub-paragraph (1), for the words, figures and letters "by 31st December, 2017", the words, figures and letters "by 31st March, 2018" shall be substituted;

[F. No.: 11017/87/2016-SCD-I] AINDRI ANURAG, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2017

का.आ. 4070(अ).— केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, एतद् द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खंड (ii) में का.आ. 680(अ), तारीख 01 मार्च, 2017 में प्रकाशित और का.आ. 2265(अ), तारीख 20 जुलाई, 2017 एवं का.आ. 3425(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2017 द्वारा तदनन्तर संशोधित, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में,--

- पैरा 1, के उप-पैरा (2) में, शब्दों, अंकों एवं अक्षरों "31 दिसम्बर, 2017 तक", के स्थान पर "31 मार्च, 2018 तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा।
- पैरा 2, के उप-पैरा (क) में, शब्दों, अंकों एवं अक्षरों "31 दिसम्बर, 2017 तक", के स्थान पर "31 मार्च, 2018 तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा।

[फा.सं. 11017/87/2016-एससीडी-I] आइन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2017

S.O. 4070(E).— In pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Social Justice and Empowerment), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 680(E), dated the 1st March, 2017 and subsequently amended vide S.O. 2265(E), dated the 20th July, 2017 and S.O. 3425(E), dated the 24th October, 2017, namely :—

In the said notification,—

- in paragraph 1, in sub-paragraph (2), for the words, figures and letters "by 31st December, 2017", the words, figures and letters "by 31st March, 2018" shall be substituted.
- in paragraph 2, in sub-paragraph (a), for the words, figures and letters "by 31st December, 2017", the words, figures and letters "by 31st March, 2018" shall be substituted;

[F. No.: 11017/87/2016-SCD-I] AINDRI ANURAG, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2017

का.आ. 4071(अ).— केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, एतद् द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खंड (ii) में का.आ. 681(अ), तारीख 01 मार्च, 2017 में प्रकाशित और का.आ. 2268(अ), तारीख 20 जुलाई, 2017 एवं का.आ. 3426(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2017 द्वारा तदनन्तर संशोधित, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में,--

- पैरा 1, के उप-पैरा (2) में, शब्दों, अंकों एवं अक्षरों "31 दिसम्बर, 2017 तक", के स्थान पर "31 मार्च, 2018 तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा।
- पैरा 2, के उप-पैरा (क) में, शब्दों, अंकों एवं अक्षरों "31 दिसम्बर, 2017 तक", के स्थान पर "31 मार्च, 2018 तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा।

[फा.सं. 11017/87/2016-एससीडी-1] आइन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2017

S.O. 4071(E).— In pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Social Justice and Empowerment), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 681(E), dated the 1st March, 2017 and subsequently amended vide S.O. 2268(E), dated the 20th July, 2017 and S.O. 3426(E), dated the 24th October, 2017, namely:—

In the said notification,—

- in paragraph 1, in sub-paragraph (2), for the words, figures and letters "by 31st December, 2017", the words, figures and letters "by 31st March, 2018" shall be substituted.
- in paragraph 2, in sub-paragraph (a), for the words, figures and letters "by 31st December, 2017", the words, figures and letters "by 31st March, 2018" shall be substituted;

[F. No.: 11017/87/2016-SCD-I] AINDRI ANURAG, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2017

का.आ. 4072(अ).— केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, एतद् द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खंड (ii) में का.आ. 682(अ), तारीख 01 मार्च, 2017 में प्रकाशित और का.आ. 2266(अ), तारीख 20 जुलाई, 2017 एवं का.आ. 3428(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2017 द्वारा तदनन्तर संशोधित, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में,--

• पैरा 1, के उप-पैरा (2) में, शब्दों, अंकों एवं अक्षरों "31 दिसम्बर, 2017 तक", के स्थान पर "31 मार्च, 2018 तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा।

 पैरा 2, के उप-पैरा (क) में, शब्दों, अंकों एवं अक्षरों "31 दिसम्बर, 2017 तक", के स्थान पर "31 मार्च, 2018 तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा।

> [फा.सं. 11017/87/2016-एससीडी-I] आइन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2017

S.O. 4072(E).— In pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Social Justice and Empowerment), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 682(E), dated the 1st March, 2017 and subsequently amended vide S.O. 2266(E), dated the 20th July, 2017 and S.O. 3427(E), dated the 24th October, 2017, namely:—

In the said notification,—

- in paragraph 1, in sub-paragraph (2), for the words, figures and letters "by 31st December, 2017", the words, figures and letters "by 31st March, 2018" shall be substituted.
- in paragraph 2, in sub-paragraph (a), for the words, figures and letters "by 31st December, 2017", the words, figures and letters "by 31st March, 2018" shall be substituted;

[F. No.: 11017/87/2016-SCD-I] AINDRI ANURAG, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2017

का.आ. 4073(अ).— केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, एतद् द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खंड (ii) में का.आ. 683(अ), तारीख 01 मार्च, 2017 में प्रकाशित और का.आ. 2267(अ), तारीख 20 जुलाई, 2017 एवं का.आ. 3428(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2017 द्वारा तदनन्तर संशोधित, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में,--

- (क) पैरा 1, के उप-पैरा (2) में, शब्दों, अंकों एवं अक्षरों "31 दिसम्बर, 2017 तक", के स्थान पर "31 मार्च, 2018 तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा।
- (ख) पैरा 2, के उप-पैरा (क) में, शब्दों, अंकों एवं अक्षरों "31 दिसम्बर, 2017 तक", के स्थान पर "31 मार्च, 2018 तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा।

[फा.सं. 11017/87/2016-एससीडी-I] आइन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2017

S.O. 4073(E).— In pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Social Justice and Empowerment), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,

[भाग II-खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र: असाधारण

Sub-section (ii), *vide* number S.O. 683(E), dated the 1st March, 2017 and subsequently amended vide S.O. 2267(E), dated the 20th July, 2017 and S.O. 3428(E), dated the 24th October, 2017, namely :—

In the said notification,—

- a) in paragraph 1, in sub-paragraph (2), for the words, figures and letters "by 31st December, 2017", the words, figures and letters "by 31st March, 2018" shall be substituted.
- b) in paragraph 2, in sub-paragraph (a), for the words, figures and letters "by 31st December, 2017", the words, figures and letters "by 31st March, 2018" shall be substituted;

[F. No.: 11017/87/2016-SCD-I] AINDRI ANURAG, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2017

का.आ. 4074(अ).— केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, एतद् द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खंड (ii) में का.आ. 865(अ), तारीख 17 मार्च, 2017 में प्रकाशित और का.आ. 2269(अ), तारीख 20 जुलाई, 2017 एवं का.आ. 3429(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2017 द्वारा तदनन्तर संशोधित, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में,--

- (क) पैरा 1, के उप-पैरा (2) में, शब्दों, अंकों एवं अक्षरों "31 दिसम्बर, 2017 तक", के स्थान पर "31 मार्च, 2018 तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा।
- (ख) पैरा 2, के उप-पैरा (क) में, शब्दों, अंकों एवं अक्षरों "31 दिसम्बर, 2017 तक", के स्थान पर "31 मार्च, 2018 तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा।

[फा.सं. 11017/87/2016-एससीडी-1] आइन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2017

S.O. 4074(E).— In pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Social Justice and Empowerment), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 865(E), dated the 17th March, 2017 and subsequently amended vide S.O. 2269(E), dated the 20th July, 2017 and S.O. 3429(E), dated the 24th October, 2017, namely:—

In the said notification,—

- a) in paragraph 1, in sub-paragraph (2), for the words, figures and letters "by 31st December, 2017", the words, figures and letters "by 31st March, 2018" shall be substituted.
- b) in paragraph 2, in sub-paragraph (a), for the words, figures and letters "by 31st December, 2017", the words, figures and letters "by 31st March, 2018" shall be substituted;

[F. No.: 11017/87/2016-SCD-I] AINDRI ANURAG, Jt. Secy

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2017

का.आ. 4075(अ).— केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, एतद् द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खंड (ii) में का.आ. 1134(अ), तारीख 07 अप्रैल, 2017 में प्रकाशित और का.आ. 2270(अ), तारीख 20 जुलाई, 2017 एवं का.आ. 3430(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2017 द्वारा तदनन्तर संशोधित, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में,--

- (क) पैरा 1, के उप-पैरा (2) में, शब्दों, अंकों एवं अक्षरों "31 दिसम्बर, 2017 तक", के स्थान पर "31 मार्च, 2018 तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा।
- (ख) पैरा 2, के उप-पैरा (क) में, शब्दों, अंकों एवं अक्षरों "31 दिसम्बर, 2017 तक", के स्थान पर "31 मार्च, 2018 तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा।

[फा.सं. 11017/87/2016-एससीडी-1] आइन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2017

S.O. 4075(E).— In pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Social Justice and Empowerment), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1134(E), dated the 7th April, 2017 and subsequently amended vide S.O. 2270(E), dated the 20th July, 2017 and S.O. 3430(E), dated the 24th October, 2017, namely:—

In the said notification,—

- a) in paragraph 1, in sub-paragraph (2), for the words, figures and letters "by 31st December, 2017", the words, figures and letters "by 31st March, 2018" shall be substituted.
- b) in paragraph 2, in sub-paragraph (a), for the words, figures and letters "by 31st December, 2017", the words, figures and letters "by 31st March, 2018" shall be substituted;

[F. No.: 11017/87/2016-SCD-I] AINDRI ANURAG, Jt. Secy.